प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 106/2021 (2021/227)

1. कृष्णगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र माधु जाट निवासी ग्राम फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———वादी

♠ बनाम ♠

1. सोहन बेवा चतुर्भुज जाट
2. रसाल पुत्री चतुर्भुज जाट
3. चन्द्रप्रकाश दत्तक पुत्र चतुर्भुज जाट (जमाबन्दी के इन्द्राज के आधार पर) समस्त निवासीगण ग्राम फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–अभिलेख केकड़ी
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर
6. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा–चांपानेरी तहसील भिनाय
7. उपपंजीयक तहसील कार्यालय केकड़ी

——— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

--:: निर्णय ::--

दिनांक 06.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कोहडा पेश हुई। वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत ा किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कोहडा की आराजी खसरा नम्बर 9 रकबा 4.64 हैक्टर किस्म बारानी 1 व खसरा नम्बर 280 रकबा 0.20 हैक्टर किस्म गै.मु. ल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज थी तथा आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 0.29 क्टर किस्म गै.मु.पाल, खसरा नम्बर 256 रकबा 4.15 हैक्टर किस्म बारानी 1 तथा आराजी रा नम्बर 283/1689 रकबा 0.46 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज थी। उक्त र्णित सम्पूर्ण आराजीयात के पुराने खसरा नम्बर 182 व 183 थे तथा मौके पर वादी व तिवादी संख्या 1 व 2 के पिता चतुर्भुज ने इन आराजीयात का बंटवारा कर लिया था। टवारे के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 182 व 183 का पूर्वी ओर का हिस्सा वादी के पक्ष में ाया था तथा पश्चिमी तरफ का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता चतुर्भुज के हिस्से में ाया था तथा उसी अनुसार वादी व स्व. चतुर्भुज अपने–अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज चले आ रहे थ। चतुर्भुज के स्वर्गवास के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उसी हिस्से र काबिज चले आ रहे है किन्तु आधार जमाबन्दी जो बनायी गई उसमें खसरा नम्बर 279 व 280 जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होने चाहिए थे वे वादी के नाम दर्ज कर दिये ाये तथा खसरा नम्बर 255, 256, 283/1689 जो वादी के नाम दर्ज किये जाने थे वे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिये गये। बंटवारे के अनुसार इन्द्राज नही होने से दुरूस्ती हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये गये किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नही की गई तथा उनके द्वारा परामर्श उपरांत दिनांक 28.10.2004 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

विनिमय पत्र (एक्सचेंज डीड) सब रजिस्ट्रार केकड़ी के यंहा पंजीबद्ध करवाया जिसमें नम्बर 255, 256, 283/1689 वादी के नाम तथा खसरा नम्बर 279, 280 प्रतिवादी 1 व 2 के नाम विनिमय कर दी गई। जिसकी क्रियान्विती राजस्व रिकॉर्ड में नही हुई। ी संख्या 1 व 2 ने विनिमय पत्र के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 3 के साथ दुर्भि संधि हुए पहले तो चन्द्रप्रकाश दत्तक पुत्र चतुर्भुज का इन्द्राज चतुर्भुज के दत्तक पुत्र की से राजस्व रिकॉर्ड में करवाया तथा तत्पश्चात एक रिलीज डीड प्रतिवादी संख्या 3 के तहरीर करवा दी तथा तत्पश्चात उक्त पम्पूर्ण आराजीयात केवल मात्र प्रतिवादी संख्या नाम दर्ज करवा दी गई। वादी को उक्त अवैध इन्द्राजात की कोई जानकारी नही थी। 01.06.2021 को प्रतिवादी संख्या 3 वादी के पास आये तथा कहा कि जिस आराजी को काश्त कर रहे है वह उसके नाम है तथा वह इस आराजी को छोडकर चले जायें। वादी दिनांक तक उक्त आराजी खसरा नम्बर 255, 256, 283/1689 पर निर्बाध रूप से ज है तथा उक्त तथ्य की पुष्टि रजिस्टर्ड विनियम पत्र दिनांक 28.10.2004 से भी होती है दी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में चन्द्रप्रकाश का नाम व रिलीज डीड करवाने की कार्यवाही कतई प्रभावहीन है उससे वादी के हकों पर कोई रही पड़ता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की नियत खराब है, वे मौके पर विनिमय की रिकॉर्ड में पालना नही होने के कारण वादी को आराजीयात से बेदखल करना चाहते या आराजीयात को अन्यत्र रहन, बक्षीस, बेचान करना चाहते है, अतः उन्हे इस हेतु पाबन्द जाना न्यायोचित है कि वे वादी को आराजी खसरा नम्बर 255, 256, 283/1689 के पूर्ण उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें तथा आराजीयात को बेचान,बक्षीस इत्यादि नही करें। केवल राजस्व कर्मचारियों की गलती से विनियम पत्र का न्चयन नही होने से आराजीयात वादी के नाम दर्ज नही हो पाई है जिसका फ़ायदा उठाते तिवादी संख्या 3 ने आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 6 के यहां ऋण प्राप्त किया है जो कतई अवैध है अतः प्रतिवादी संख्या 6 का नाम भी वादी के हकों तक राजस्व रिकॉर्ड से पित किया जाना न्यायोचित है एवं आराजी खसरा नम्बर 255, 256, 283/1689 का वादी खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर ादी संख्या 3 व 6 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण नरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु समुचित अवसर दिया गया। उनके जवाब प्रस्तुत नही किया गया। आज प्रशासन गांवो के संग अभियान में वादी गोपाल एवं ादी संख्या 3 चन्द्रप्रकाश ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार न किया गया है कि " आराजी खसरा नम्बर 255, 256, 283/1689, 279, 280 बाबत राधीन वाद में हम दोनो ही पक्षों में राजीनामा हो गया है तथा यह तय किया गया कि रा नम्बर 279, 280 जो वर्तमान में कृष्णगोपाल उर्फ गोपाल की खातेदारी में दर्ज है उसे प्रकाश दत्तक पुत्र चतुर्भुज के नाम तथा खसरा नम्बर 255, 256, 283/1689 जो वर्तमान न्द्रप्रकाश दत्तक पुत्र चतुर्भुज की खातेदारी में दर्ज है उसे कृष्णगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में इस राजीनामें के अनुसार खातेदार के रूप में दर्ज दिया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में भी इन्द्राज कर दिया जावे। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

हम दोनो ही पक्षों ने राजीखुशी से तहरीर करवाया है तथा केम्प प्रभारी से निवेदन उक्त राजीनामा अनुसार जमाबंदी व राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करावें। "

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, शिविर में उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी बहस पर मनन किया, वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। दृष्टया प्रकरण में दोनो ही पक्षकारान ने मौके पर उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनो ही पक्षों ने राजीनामा अनुसार सहमती की है। अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम वीकार कर वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी ग्राम कोहडा के नम्बर 279, 280 का प्रतिवादी संख्या 3 चन्द्रप्रकाश दत्तक पुत्र चतुर्भुज जाट को एवं नम्बर 255, 256, 283/1689 का वादी कृष्णगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र माधु जाट को ार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वादग्रस्त आराजीयात के क्त होने के उपरान्त अथवा संबंधित बैंक से एन.ओ.सी. प्राप्त होने के उपरान्त नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। इस आशय का डिकरी पर्चा किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।
निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गावों के संग अभियान एवं महंगाई राहत र केम्प कोहडा में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः— विकास पंचोली (आर.ए.एस)

कृष्णगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र माधु जाट निवासी ग्राम फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——वादी

♠ बनाम ♠

सोहन बेवा चतुर्भुज जाट
रसाल पुत्री चतुर्भुज जाट
चन्द्रप्रकाश दत्तक पुत्र चतुर्भुज जाट (जमाबन्दी के इन्द्राज के आधार पर)
समस्त निवासीगण ग्राम फारकिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–अभिलेख केकड़ी
राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान जिला कलक्टर अजमेर
शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा–चांपानेरी तहसील भिनाय
उपपंजीयक तहसील कार्यालय केकड़ी
—— प्रतिवादीगण

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 88,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बरः— राजस्व वाद 106/2021 (2021/227)
निर्णय दिनांकः— 06.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड री केकडी बहाजिरी श्री कृष्णगोपाल उर्फ गोपाल वादी स्वयं, चन्द्रप्रकाश प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं व पैरोकार तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादग्रस्त ग्राम कोहडा के खसरा नम्बर 279, 280 का प्रतिवादी संख्या 3 चन्द्रप्रकाश दत्तक पुत्र चतुर्भुज जाट को एवं नम्बर 255, 256, 283/1689 का वादी कृष्णगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र माधु जाट को खातेदार काश्तकार किया जाता है। तहसीलदार केकड़ी वादग्रस्त आराजीयात के रहनमुक्त होने के उपरान्त अथवा संबंधित बैंक ओ.सी. प्राप्त होने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद की कार्यवाही करें। इस आश्य का र्चा जारी किया जावे।

चीज .....मुबलिक.....बाबत.....
ी इस मुकदमे के मय सूद व शरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख लयाबी तक.....को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06.05.2023 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

र

दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
म्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
म्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
म्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
नताना वकील			महनताना वकील		
र्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
स कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
त इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
फरिक	———	———	मुतफरिक	———	———
मीजान	0	0	मीजान	0	0

टः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही र्म करना चाहिए।